संचिका संख्या–22/अनु0–05/2014 सा0प्र0............/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय।
जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा।
जिला पदाधिकारी, मधुबनी।

पटना–15, दिनांक.....27 मई, 2015

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति के प्रसंग में याचित मार्गदर्शन के संबंध में

प्रसंगः– समाहरणालय, बेगूसराय का पत्रांक–644/स्था0, दिनांक–29.04.2015
समाहरणालय, छपरा का पत्रांक–103 (मु0)/स्था0, दिनांक–02.05.2015
समाहरणालय, छपरा का पत्रांक–100 (मु0)/स्था0, दिनांक–30.04.2015
समाहरणालय, मधुबनी का पत्रांक–699/जि0स्था0, दिनांक–02.05.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के तहत याचित मार्गदर्शन निम्नानुसार देने का निदेश दिया गया हैः–

(क) चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए शैक्षणिक योग्यता के संबंध में।	अनुकम्पा समितियों द्वारा चौकीदार अथवा किसी पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जानी है बल्कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर समूह–'ग' अथवा समूह–'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जानी है। समूह 'घ' के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए वांछित शैक्षणिक अर्हता के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत परिपत्र सं0–1866 दिनांक–04.02.2015 के तहत परिचारित किया जा चुका है।
(ख) सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के संतान के रूप में मात्र पुत्री होने तथा उसके परिवार में विधवा पत्नी अथवा विधुर पति के जीवित नहीं रहने की स्थिति में शादीशुदा पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने के संबंध में।	मृत सरकारी कर्मी के संतान के रूप में मात्र शादीशुदा पुत्री होने की स्थिति में शादीशुदा पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने के संबंध में इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत परिपत्र सं0–16973 दिनांक–10.12. 2014 की कंडिका–02 के आलोक में अनुकम्पा

	समितियों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
(ग) समूह–'ग' के सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान की क्षमता की जाँच करने के संबंध में।	अनुकम्पा समितियों द्वारा आश्रितों (आवेदकों) की शैक्षणिक योग्यतानुसार ग्रेड पे रू0 1800.00 अथवा ग्रड पे रू0 1900.00 के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जानी है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुकम्पा समितियों द्वारा सिपाही अथवा किसी पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जानी है तथा अनुशंसा/नियुक्ति के पूर्व कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान क्षमता की जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं है।
(घ) सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी की द्वितीय पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देने के संबंध में।	सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी द्वारा सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर द्वितीय विवाह करने के संबंध में सुनिश्चित हो लेने के उपरान्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) से निर्गत परिपत्र सं0–937 दिनांक–23.06.2005 की कंडिका–4 के आलोक में अनुकम्पा समितियों द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी की द्वितीय पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिये जाने के संबंध में समुचित निर्गय लिया जा सकता है।

नोटः– सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत सभी संकल्पों/परिपत्रों/अनुदेशों की प्रतियाँ इस विभाग के वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–22/अनु0–05/2014 सा0प्र0.....7722..../ पटना–15, दिनांक.......27 मई, 2015

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/2015

सरकार के अपर सचिव।

E/sec-22/May Draft